

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 9/02/19

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2018-19 में पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना मद में आवंटित राशि रू0 3.00 करोड़ (तीन करोड़ रू0 मात्र) की आवंटन की स्वीकृति।

पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु Special Purpose Vehicle (SPV) पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 (PMRCL) का गठन संकल्प सं0-2406 दिनांक-26.09.2018 द्वारा किया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में तृतीय अनुपूरक आगणन से राज्य योजना मद में प्राप्त राशि रू0 3.00 करोड़ (तीन करोड़ रू0 मात्र) की आवंटन की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश सं0-152 दिनांक-9/02/19 के आलोक में दी जाती है।

2. स्वीकृत राशि रू0 3.00 करोड़ (तीन करोड़ रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-257 दिनांक-26.02.19 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में एक मुश्त किया जाएगा तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) के पी0एल0 खाता सं0-259, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना में संधारित की जाएगी। पी0एल0 खाता से राशि आवश्यकतानुसार पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 (PMRCL) को अधियाचना के आलोक में RTGS/बैंक ड्रॉपट के माध्यम से विमुक्त किया जाएगा।

3. वित्त विभाग के परिपत्र सं0-7355 वि0 (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 (PMRCL) से प्राप्त होने पर बुडा द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।

5. स्वीकृत राशि रू0 3.00 करोड़ (तीन करोड़ रू0 मात्र) कि निकासी योजना मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य, लघु शीर्ष-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश, उप शीर्ष-0101-पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0, विस्तृत शीर्ष-54-निवेश एवं विषय शीर्ष-01- निवेश विपत्र कोड-48-5075601900101 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक में उपबंधित राशि रू0 3.00 करोड़ (तीन करोड़ रू0 मात्र) में से विकलनीय होगी।

6. (i) राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म-46 पर की जायेगी। राशि के निकासी के लिए विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। विपत्र के साथ बुडा के पी0एल0 खाता नं0 के साथ संलग्न करनी होगी।
- (ii) कोषागार पदाधिकारी, बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA) जो नगर विकास एवं आवास विभाग का State Level Nodal Agency (SLNA) है, के पी0एल0 खाता सं0-259 में ऑनलाईन अंतरित कर देंगे। कोषागार पदाधिकारी द्वारा चालान की एक प्रति विपत्र भाउचर के साथ महालेखाकार को अवश्य भेजी जायेगी, जो अंतरण जमा (Transfer Credit) का साक्ष्य होगा।
- (iii) निवेश के रूप में अंतरित की गई राशि का त्रैमासिक लेखा बुडा द्वारा त्रैमास के अगले माह की 15वीं तिथि तक कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा। लगातार दो त्रैमासिक का व्यय लेखा समर्पित नहीं करने पर कोषागार पदाधिकारी पी0एल0 चेक पारित करने से इनकार कर सकते हैं।
- (iv) पी0एल0 खाते से सीधे लाभुकों/भुगतान प्राप्तकर्ता को भी चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*08-03-19*  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-03/मेट्रो रेल-04-10/2018- 110 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक: 9/03/19  
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*08-03-19*  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-03/मेट्रो रेल-04-10/2018- 110 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक: 9/03/19  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/अपर सचिव-सह-उप निदेशक, बुडा/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/ मा० मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/ पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि० (PMRCL), इंदिरा भवन, 7वाँ तल, पटना/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*08-03-19*  
सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक... 9/03/19

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2018-19 में पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना मद में आवंटित राशि रू0 3.00 करोड़ (तीन करोड़ रू0 मात्र) की निकासी की स्वीकृति।

**आदेश:-** स्वीकृत।

पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु Special Purpose Vehicle (SPV) पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि0 (PMRCL) का गठन संकल्प सं0-2406 दिनांक-26.09.2018 द्वारा किया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में तृतीय अनुपूरक आगणन से राज्य योजना मद में प्राप्त राशि रू0 3.00 करोड़ (तीन करोड़ रू0 मात्र) की निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

2. स्वीकृत राशि रू0 3.00 करोड़ (तीन करोड़ रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-257 दिनांक-26.02.19 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में एक मुश्त किया जाएगा तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा) के पी0एल0 खाता सं0-259, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना में संधारित की जाएगी। पी0एल0 खाता से राशि आवश्यकतानुसार पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि0 (PMRCL) को अधियाचना के आलोक में RTGS/बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से विमुक्त किया जाएगा।

3. वित्त विभाग के परिपत्र सं0-7355 वि0 (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि0 (PMRCL) से प्राप्त होने पर बुडा द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।

5. स्वीकृत राशि रू0 3.00 करोड़ (तीन करोड़ रू0 मात्र) कि निकासी योजना मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य, लघु शीर्ष-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश, उप शीर्ष-0101-पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि0, विस्तृत शीर्ष-54-निवेश एवं विषय शीर्ष-01- निवेश विपत्र कोड-48-5075601900101 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक में उपबंधित राशि रू0 3.00 करोड़ (तीन करोड़ रू0 मात्र) में से विकलनीय होगी।

6. (i) राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म-46 पर की जायेगी। राशि के निकासी के लिए विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। विपत्र के साथ बुडा के पी0एल0 खाता नं0 के साथ संलग्न करनी होगी।
- (ii) कोषागार पदाधिकारी, बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA) जो नगर विकास एवं आवास विभाग का State Level Nodal Agency (SLNA) है, के पी0एल0 खाता सं0-259 में ऑनलाईन अंतरित कर देंगे। कोषागार पदाधिकारी द्वारा चालान की एक प्रति विपत्र भाउचर के साथ महालेखाकार को अवश्य भेजी जायेगी, जो अंतरण जमा (Transfer Credit) का साक्ष्य होगा।
- (iii) निवेश के रूप में अंतरित की गई राशि का त्रैमासिक लेखा बुडा द्वारा त्रैमास के अगले माह की 15वीं तिथि तक कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा। लगातार दो त्रैमासिक का व्यय लेखा समर्पित नहीं करने पर कोषागार पदाधिकारी पी0एल0 चेक पारित करने से इनकार कर सकते हैं।
- (iv) पी0एल0 खाते से सीधे लाभुकों/भुगतान प्राप्तकर्ता को भी चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0 सं0- 11 / टि0 पर दिनांक- 7.3.19 को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0 सं0- 11 / टि0 पर दिनांक- 7.3.19 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

1808-03/19

सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-03/मेट्रो रेल-04-10/2018-

152

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक: 9/03/19

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1808-03/19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-03/मेट्रो रेल-04-10/2018-

152

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक: 9/03/19

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/अपर सचिव-सह-उप निदेशक, बुडा/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/ मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/ पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 (PMRCL), इंदिरा भवन, 7वाँ तल, पटना/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1808-03/19

सरकार के विशेष सचिव।